

न्यायालय-कु.रूपल अग्रवाल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कवर्धा

--विविध आदेश--

क्रं.-क्यू/मु.न्या.मजि./2025

कबीरधाम दिनांक-02.12.2025

मैं कु.रूपल अग्रवाल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कबीरधाम(छ.ग.) दंडिक कार्य रिमांड के संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 12(1) एवं 13(1) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये **माह दिसंबर-2025** में घोषित सार्वजनिक अवकाश अवधि में जिला मुख्यालय कबीरधाम एवं बाह्य न्यायालय पंडरिया, जिला-कबीरधाम छ.ग. में अत्यावश्यक/रिमांड कार्य संपादन हेतु निम्नानुसार आदेशित करती हूँ :-

क्र.	न्यायाधीश का नाम	रिमाण्ड एवं अत्यावश्यक कार्य संपादित करने का दिनांक
1.	कु. रूपल अग्रवाल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कबीरधाम छ.ग.	13.12.2025
2.	कु. रुचिता अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कबीरधाम छ.ग.	25.12.2025, 28.12.2025
3.	किरण पन्ना, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कबीरधाम छ.ग.	07.12.2025, 14.12.2025
4.	कु. वर्षा गुर्दे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कबीरधाम छ.ग.	18.12.2025, 20.12.2025, 21.12.2025

टीप:-01. पण्डरिया स्थित न्यायालय में पदस्थ **श्री आलोक कुमार अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पण्डरिया, जिला-कबीरधाम** द्वारा प्रत्येक अवकाश दिवस में पण्डरिया न्यायालय हेतु न्यायिक रिमाण्ड के कार्य का संपादन किया जायेगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पंडरिया के अवकाश दिवस में रिमाण्ड हेतु उपस्थित न रहने/अवकाश पर रहने की दशा में जिला मुख्यालय में रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट के द्वारा, पंडरिया से संबंधित रिमाण्ड कार्य का संपादन किया जायेगा ।

2. जिला मुख्यालय होने के कारण कवर्धा में प्रत्येक परिस्थिति में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट आवश्यक न्यायिक कार्य के संपादन हेतु अनिवार्यतः उपस्थित रहेंगे।

3. उक्त रिमाण्ड ड्यूटी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति से परिवर्तित किये जा सकते हैं, जिसके लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कवर्धा को लिखित या मौखिक सूचना, तिथि के पूर्व अनिवार्य रूप से प्रेषित की जावेगी।

दिनांक:-02.12.2025

स्थान-कबीरधाम(कवर्धा)

Sd/-
(कु.रूपल अग्रवाल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला-कबीरधाम (छ.ग.)